झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य
बीज वितरण नीति-2011

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

झारखण्ड

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
संकल्प

विषय : झारखण्ड राज्य के कृषकों को केन्द्र प्रायोजित/राज्य योजना के तहत अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के प्रचलित प्रभेदों के बीज वितरण नीति, 2011

झारखण्ड राज्य में कुल 79 लाख हे0 भौगोलिक क्षेत्रफल के विरूद्ध 38 लाख हे0 खेती योग्य भूमि है। उपलब्ध इस 38 लाख हे0 खेती योग्य भूमि में से मात्र 22.38 लाख हे0 (57 प्रतिशत) भूमि पर ही कृषि कार्य किए जाते है। राज्य में लगभग 39 लाख कृषक है। कुल कृषकों में से 80 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है, जिनके पास 37.5 प्रतिशत खेती योग्य भूमि है। 5.5 प्रतिशत बड़े एवं मध्यम कृषक है, जिनके पास 38 प्रतिशत खेती योग्य भूमि है। शेष 14 प्रतिशत अन्य मध्यम श्रेणी के कृषक है, जिनके पास 24.5 प्रतिशत खेती योग्य भूमि है।

भारत सरकार के द्वारा 33 प्रतिशत मानक बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate) निर्धारित की गई है, जिस क्रम में खरीफ एवं रबी के दौरान सम्प्रति उपयोग की जा रही भूमि पर खेती हेतु निम्न वर्णित मात्रा में बीज की आवश्यकता है :

क्रमांक	कृषि मौसम	फसल (नाम)	आच्छादित क्षेत्र (हे0 में)	बीज की कुल आवश्यकता (क्वीं में)	33 प्रतिशत मानक बीज प्रतिस्थापन दर के आधार पर प्रमाणित बीज की आवश्यकता (क्वीं में)
	1	2	3	4	5
1	**खरीफ**	धान	1692000	846000	279180
2		मक्का	280000	56000	18480
3		अरहर	160000	32000	10560
4		उरद	120000	24000	7920
5		मूंग	30000	6000	1980
6		मूंगफली	40000	40000	13200
7		कुल्थी	31900	7975	2632
		कुल	**2353900**	**1011975**	**333952**
1	**रबी**	गेहूँ	120000	120000	39600
2		मसूर	30000	7500	2475
3		चना	95000	71250	23513
4		मटर	30000	22500	7425
5		राई/सरसों	130000	9100	3003
		कुल	**405000**	**230350**	**76016**

2. पूर्व में विभाग के द्वारा विभिन्न बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों से बीज क्रय करते हुए अनुदानित दर पर जिला कृषि पदाधिकारीगण के माध्यम से प्रखंड स्तर पर कृषकों के बीज वितरित किए जाते रहे हैं, जिस क्रम में

निम्नांकित समस्याओं/जटिलताओं का सामना करना पड़ा है :

(i) क्रय किए गए बीज का सुरक्षित भंडारण ।

(ii) कृषकों से अनुदान की राशि छोड़कर शेष राशि प्राप्त कर बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान को ससमय उपलब्ध कराना।

(iii) किसानों को उनकी इच्छा के अनुरूप गुणवत्ता का निर्धारित फसल एवं प्रभेद का बीज आपूर्ति करने की समस्या।

(iv) प्रखंड स्तर पर बीज वितरण में शिथिलता के फलस्वरूप बीज का अव्यवहृत रह जाना अथवा खराब होना।

(v) बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों को आपूर्ति किए गए बीज का मूल्य भुगतान में विलम्ब होना।

(vi) ससमय कृषकों को बीज प्राप्त न होना, इत्यादि

3. उद्देश्य एवं विस्तार :

3.1 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया गया है कि राज्य में अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण हेतु बेहतर व्यवस्था लागू की जाए ताकि इच्छुक किसानों को उनकी इच्छा के अनुरूप गुणवत्ता के सही बीज, सही मात्रा में, सही समय पर प्राप्त हो सके तथा बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों को भी आपूर्ति किए गए बीजों का मूल्य ससमय भुगतान हो सके।

3.2 यह व्यवस्था कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल एवं दलहन), राजकीय बीज विनिमय कार्यक्रम, आदि के अन्तर्गत अनुदानित दर पर वितरित किए जा रहे बीज हेतु लागू होगी।

4. लक्षित कृषकों की पात्रता :

4.1 लाभान्वित कृषक को अधिकतम 5 हे0 हेतु अनुदानित दर पर बीज अनुमान्य होगा।

4.2 वही इच्छुक किसान अनुदान पर बीज पा सकेंगे, जो अपने पहचान पत्र (झारखण्ड कृषि कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, यूनिक आईडीनटी कार्ड (आधार), मतदाता पहचान पत्र, **राशन कार्ड,** पंचायत स्तरीय पंचायत समिति के किसी सदस्य द्वारा निर्गत अनुशंसा पत्र या अन्य पहचान पत्र, **जो विभाग के द्वारा मान्य हो**) को बीज प्राप्त करते समय बीज विक्रेता के समक्ष तत्संबंधी छायाप्रति के साथ उपस्थापित करेंगे।

उपर्युक्त क्रम में इच्छुक किसान के द्वारा स्वयं की धारित भूमि से संबंधित मान्य दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

4.3 पहचान पत्र की छाया प्रति बीज विक्रेता द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी एवं विक्रेता के द्वारा कृषकों को बीज उपलब्ध कराने के समय उसका संपर्क मोबाईल नं0 भी यथासंभव रसीद पर अंकित किया जाएगा, जिसका उपयोग विपत्र के सत्यापन के समय सत्यापित करने वाले पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4.4 प्रत्येक बीज विक्रेता के द्वारा निम्नांकित पंजियाँ संधारित की जाएगी :

4.4.1 **थोक विक्रेता**

(i) भंडार पंजी (प्रपत्र – V)

(ii) बीज बिक्री पंजी (प्रपत्र – VI)

4.4.2 **खुदरा विक्रेता**

(i) भंडार पंजी (प्रपत्र – VII)

(ii) वितरण पंजी (प्रपत्र – I)

4.4.3 जिले के समस्त थोक एंव खुदरा विक्रेताओं द्वारा इन पंजियों की कम्पयूटराईजड हार्ड एवं साफ्ट कॉपी अनुदान दावा के सामंजन हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी को बीज वितरण कार्यक्रम सम्पन्न होने के अधिकतम 15 दिनों के अन्दर समर्पित की जायेगी ।

5. बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान :

5.1 राज्य के बीज उत्पादक संस्थान, यथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची/निबंधित बीज ग्राम/कृषि विज्ञान केन्द्र, राजकीय बीज प्रक्षेत्र तथा भारत सरकार/राज्य सरकारों के लोक उपक्रमों/संस्थानों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

5.2 उपर्युक्त संस्थानों का पैनल पारदर्शी तरीके से वृहद प्रचार–प्रसार करते हुए तैयार किया जाएगा ताकि सभी इच्छुक संस्था भाग ले सके ।

6. बीज का चयन एवं आपूर्ति की प्रक्रिया :

6.1 निदेशक कृषि के द्वारा फसलवार निर्धारित मानक बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) के आलोक में पूरे वर्ष हेतु आवश्यक कुल बीज की गणना की जाएगीं एवं तदोपरान्त **प्रभेद की चयन समिति** की बैठक होगी, जिसमें निदेशक, अनुसंधान, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची तथा निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधि रहेंगे।

इस समिति द्वारा राज्य के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त प्रभेदों का चयन किया जाएगा।

6.2 उपर्युक्त कंडिका 5.1 में वर्णित संस्थाओं को खरीफ एवं रबी मौसम हेतु समिति के द्वारा चयनित विभिन्न फसलों के प्रभेदों के उपलब्धता एवं दर के साथ प्रत्येक वर्ष माह मार्च में आयोजित बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

6.3 बैठक में विभिन्न बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध प्रभेद, दर एवं मात्रा के आलोक में निदेशालय स्तर पर गठित समिति के द्वारा मानक बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) के लक्ष्य के आलोक में आपूर्ति आदेश विभिन्न बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों को दिया जायगा।

6.4 विभिन्न बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा विभिन्न फसलों के प्रभेदों के बीजों की उद्धृत दर के संबंध में **समिति के द्वारा** मोलभाव (Negotiation) करते हुए यथासंभव क्रय दरों का निर्धारण किया जाएगा।

समिति के द्वारा बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों की उदधृत दरों की उपयुक्तता की जांच कर ली जाएगी। चूंकि किसी एक संस्थान द्वारा संपूर्ण राज्य की मांग के अनुसार आपूर्ति करना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए L-1 का सिद्धांत अपनाना संभव नहीं होगा। इसलिए आवश्यकतानुसार दरों का मोलभाव (Negotiations) किया जा सकेगा।

इस क्रम में बीज आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा विभिन्न फसलों के प्रभेदों के बीजों की उद्धृत दर की विस्तृत विवरणी (ब्रेक–अप) भी दी जाएगी, जिसमें बीज वास्तविक लागत मूल्य, परिवहन, इत्यादि अवयव (Components) स्पष्ट रूप से वर्णित होंगे।

6.5 बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा जिस बोरे का उपयोग बीज की बैगिंग के लिए किया जायेगा, उसके ऊपर **झारखण्ड सरकार हेतु अनुदानित बीज** (**Subsidized seed for Jharkhand Government**) मुद्रित रहना अनिवार्य होगा, जो स्पष्ट और सुगोचर होना चाहिए।

6.6 राज्य में बीज उत्पादक बीज ग्राम/अन्य संस्थाओं द्वारा बीज की विक्रय दर स्वयं निर्धारित की जाएगी।

7. बीज अनुदान का निर्धारण :

7.1 बीज के अनुदान का निर्धारण गत वर्श की बीज क्रय दर, बीज के वर्त्तमान बाजार मूल्य तथा खाद्यान्न के वर्त्तमान बाजार मूल्य (CACP द्वारा घोषित MSP) के आधार पर इस प्रकार किया जायेगा कि अनुदानित बीज की दर खाद्यान्न की विक्रय दर से अधिक हो।

7.2 बीज की अनुदान दर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष कंडिका 6.1 में वर्णित चयन समिति की अनुशंसा पर विभागीय अनुमोदनोपरान्त तय किया जायेगा।

7.3 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुमान्य अनुदान की राशि को घटाकर शेष अनुमान्य अनुदान राषि राज्य योजना से दी जायेगी, ताकि सभी जिलों में फसलवार अनुदान की दर एक समान रहे।

8. बीज की गुणवत्ता :

8.1 प्राधिकृत बीज प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्गत प्रमाणन पत्र के आधार पर मानक पाये जाने वाले बीजों का ही वितरण किया जायेगा।

आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान से प्राप्त बीज की बीज अधिनियम, 1966 के आलोक में बीज परीक्षण प्रयोगशाला, राँची से अंकुरण की जाँच कराई जाएगी ।

8.2 अमानक पाये जानेवाली अवस्था में सक्षम स्तर से विभिन्न स्तरों पर जाँच की प्रक्रिया अपनाते हुए फलाफल के आधार पर समुचित निर्णय लिया जाएगा।

9. बीज वितरण की प्रक्रिया :

9.1 बीज वितरण हेतु राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय/अन्य बीज उत्पादक प्रतिष्ठान **प्रत्येक जिले के लिए अपने एक-एक थोक विक्रेता** को चिन्हित करेंगे।

9.2 **प्रत्येक प्रखण्ड के लिए कम से कम एक प्रखंड स्तरीय खुदरा विक्रेता** प्रत्येक बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से चिन्हित करेगें तथा इसकी सूचना संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक एवं निदेशक कृषि, झारखण्ड को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करा देंगे।

यदि कोई **पैक्स/लैम्पस** बीज का व्यवसाय करना चाहेगा तो उसे संबंधित बीज आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकेगा।

9.3 उपर्युक्त क्रम में सभी जिला कृषि पदाधिकारीगण के द्वारा बीज आपूर्ति हेतु खुदरा विक्रेता को आवेदन के एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति निर्गत करते हुए कृषि निदेशक, झारखण्ड को विहित प्रपत्र (परिशिष्ट –II A एवं II B) में मासिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

9.4 संबंधित जिले में अधिकतम बीज खपत की अवधि को ध्यान में रखकर अनुदानित दर पर बीज वितरण का कार्यक्रम निर्धारित अवधि के तहत किया जाएगा।

9.5 कृषक अपने प्रखण्ड के अन्तर्गत अवस्थित विक्रेता अथवा जिला मुख्यालय में अवस्थित विक्रेता से ही बीज का क्रय कर सकेंगे।

इस क्रम में पहले आओ – पहले पाओ के सिद्वांत के आधार पर बीज वितरित किया जायेगा।

9.6 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा वितरण के आरम्भ में विभाग द्वारा यथानिर्धारित तिथि को संबंधित जिला स्तरीय वितरक एवं प्रखण्ड स्तर पर संसूचित पदाधिकारी के द्वारा समस्त प्रखंड स्तरीय खुदरा विक्रेताओं का आरंभ भंडार (Opening Stock), बीज प्राप्ति का स्रोत, वितरित किए जाने वाले प्रभेद की वितरण पंजी का सत्यापन करते हुए निरीक्षण किया जाएगा।

9.7 बीज वितरण के समय संबंधित प्रखंड/जिला स्तरीय विक्रेता के प्रतिष्ठान में सुगोचर स्थान पर **सूचना पट्ट** के माध्यम से बीज बिक्री के परिपेक्ष्य में सरकार से मिलनेवाले अनुदान की राशि तथा प्रभेदवार बीज की मूल्य दर अंकित करनी अनिवार्य होगी।

9.8 विभिन्न आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी आदेशित बीज को प्रथमतः जिला स्तरीय वितरक को उपलब्ध करायेंगे, तदोपरान्त इसे प्रखंड स्तरीय विक्रेता को उपलब्ध कराया जाएगा।

9.9 बीज वितरण में किसी तरह की अनियमितता होने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान के प्रखंड एवं जिला स्तरीय विक्रेता पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

इस क्रम में बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा अपने विक्रेता/वितरक से आवश्यकतानुसार शपथ पत्र प्राप्त करते हुए वैधानिक औपचारिकतायें पूरी कर लेनी अपेक्षित हैं।

9.10 बीज वितरण के समय प्रत्येक प्रखण्ड में **कृषि महोत्सव** का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जाए, जिसमें कृषकों को बीज तथा अन्य कृषि तकनीकों की जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/विषयवस्तु विशेषज्ञ/कृषि सूचना तकनीकी केन्द्र तथा कृषक मित्रों के माध्यम से दी जायेगी।

10. बीज वितरण का प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण :

10.1 जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के द्वारा सुनियोजित कार्य योजना तैयार करते हुए नियमित रूप से प्रखंड स्तरीय खुदरा विक्रेता के प्रतिष्ठान का निरीक्षण इस तरह से किया जाएगा ताकि माह के प्रत्येक पक्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक जिला स्तरीय थोक विक्रेता एवं प्रखंड स्तरीय खुदरा विक्रेता का निरीक्षण हो जाए।

10.2 प्रत्येक प्रखण्ड में जिला कृषि पदाधिकारी के मार्गनिर्देशन में अनुदानित दर पर बीज बिक्री करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के कम से कम 5 प्रतिशत लाभान्वितों का सत्यापन कराया जाएगा, वितरण अवधि में प्रतिष्ठानों का समय–समय पर भ्रमण किया जाएगा एवं वितरण अवधि समाप्त होने पर दावा विपत्रों का निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन किया जाएगा।

10.3 कृषकों के बीच वितरित बीज मात्रा का सत्यापन प्रखण्ड में पदस्थापित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी तथा कार्यरत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/विषय वस्तु विशेषज्ञ के द्वारा वितरण संपन्न होने के एक माह के अन्दर कर लेना होगा।

10.4 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित सूची का सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जायेगा तथा सत्यापित सूची विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

11. अनुदान दावे का भुगतान :

11.1 बीज उत्पादक प्रतिष्ठानों द्वारा राज्य में उपर्युक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराए गए बीज के आलोक में कृषि निदेशक से अनुमान्य अनुदान की अनुदान मांग पत्र (प्रपत्र – III) में मांग की जाएगी।

11.2 अनुदान की मांग पत्र के साथ निम्न वर्णित कागजात (प्रतिष्ठान के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सत्यापित) संलग्न किए जाऐंगे :

क) बीज उत्पादक प्रतिष्ठान के मुख्यालय/भंडार से राज्य (झारखण्ड) के लिए प्रतिष्ठान को भेजी गई **''भंडार निकासी चालान''** की प्रति। (राज्य के बाहर के प्रतिष्ठानों के लिए)

ख) राज्य (झारखण्ड) में प्राप्त बीज का **''भंडार प्राप्ति रसीद''**

ग) **रेलवे रिसिट (PR) या लौरी/ट्रक रिसिट (विल्टी)**

11.3 कृषि निदेशक अनुदान दावा मांग पत्र की अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए शत् प्रतिशत् (100%) राशि संबंधित प्रतिष्ठान को एक सप्ताह में चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

12. अनुदानित बीज वितरण का सत्यापन :

12.1 बीज उत्पादक प्रतिष्ठान विहित 'प्रपत्र– IV' (परिशिष्ट – IV) में कृषि निदेशक एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को अनुदानित बीज थोक आपूर्ति प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

इस प्रपत्र के साथ विक्रय इन्वायस, भंडार निकासी चालान, लौरी/रेल रिसिट, इत्यादि की अभिप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करेंगे।

12.2 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिले के समस्त थोक एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा समर्पित बीज बिक्री प्रतिवेदन, भंडार पंजी, वितरण पंजी, इत्यादि की प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर **अनुदानित बीज बिक्री सत्यापन प्रतिवेदन** कृषि निदेशक को समर्पित किया जाएगा।

12.3 विभिन्न बीज आपूर्तिकर्त्ता संस्थाओं/बीज उत्पादक प्रतिष्ठानों को निम्न वर्णित शर्तो पर आवश्यकतानुसार अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा :

क. राज्य में अवस्थित भण्डारों में भंडारित बीज की मात्रा के अनुपात में अनुमान्य अनुदान की 60 प्रतिशत राशि ही अग्रिम स्वरूप अनुमान्य होगी।

ख. इस अग्रिम का समायोजन भुगतान के तीन माह में या वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, जो पहले हो, कर लिया जाय।

ग. यह अग्रिम भुगतान वैध बैंक गारंटी के विरूद्ध देय होगा।

12.4 बीज उत्पादक प्रतिष्ठान को बतौर अग्रिम दी गई अनुदान की राशि का समायोजन कृषि निदेशक द्वारा **बीज बिक्री सत्यापन प्रतिवेदन** के आधार पर किया जायेगा।

12.5 यदि बीज उत्पादक प्रतिष्ठान के पास पूर्व में प्रदत अग्रिम राशि शेष रहती है तो समायोजन के पश्चात् अवशेष राशि को एक सप्ताह के अंदर कृषि निदेशक को संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा वापस लौटाया जाएगा।

12.6 कृषि निदेशक, झारखण्ड के स्तर पर निर्गत अनुदान एवं सत्यापित मात्रा की पंजी का संधारण किया जाएगा।

12.7 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा योजनावार सत्यापित मात्रा की पृथक पंजियां संधारित की जाएगी।

12.8 जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी वितरित बीज के लाभुकों की सूची हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में अपने स्तर से संधारित करेंगे।

13. बीज की गुणवत्ता का आकलन :

13.1 अनुदानित दर पर वितरित किये जाने वाली बीज की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु वितरित प्रत्येक बीज का नमूना अवश्य लिया जायेगा तथा जाँच हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जायेगा।

13.2 जिला कृषि पदाधिकारी अमानक नमूना के लॉट (स्वज) की मात्रा को सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र– II के अभ्युक्ति स्तंभ में अंकित करेंगे।

14. जिला नियंत्रण कक्ष :

14.1 प्रत्येक जिले के उपायुक्त के द्वारा जिला, अनुमण्डल एवं प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रखंडवार/पंचायतवार बीजों की बिक्री का अनुश्रवण किया जाएगा।

14.2 नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार – प्रसार किया जायेगा ताकि समस्त संगत सूचनाएं नियंत्रण कक्ष को सभी स्रोतों से प्राप्त हो सके।

14.3 नियंत्रण कक्ष में एक लॉग बुक भी संधारित की जायेगी, जिसमें प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाएं सूचनाकर्त्ता, समय एवं तिथि के साथ अंकित की जायेगी।

इस क्रम में ऐसी सूचनाओं के आलोक में की गई कार्रवाई की विवरणी भी अंकित की जायेगी। सूचनाकर्त्ता को लॉग बुक में अंकित अनुक्रमणिका संबंधी जानकारी दी जायेगी ताकि कालक्रम में सूचनाकर्त्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का follow-up किया जा सके।

14.4 नियंत्रण कक्ष के द्वारा जिला उर्वरक एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता पर भी सतत् नजर रखी जायेगी।

14.5 जिला नियंत्रण कक्ष में आवश्यकतानुसार संख्या में उड़न दस्ते भी गठित किए जायेंगे ताकि क्षेत्र में चल रहे कृषि कार्यों का अनुश्रवण एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता/कालाबाजारी की त्वरित जांच करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

14.6 इसी प्रकार अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जो भी वरीय हो के नेतृत्व में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करते हुए इस अभियान का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।

15. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र की सहभागिता :

प्रत्येक जिला के उपायुक्त के द्वारा अपने जिला में कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र में उपलब्ध वैज्ञानिकों, आदि की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार इस योजना के अनुश्रवण हेतु समुचित निर्देश निर्गत किए जायेंगे तथा इन कर्मियों की सेवाएं कृषि योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु प्राप्त की जा सकें।

16. प्रचार-प्रसार :

16.1 राज्य स्तर से कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि समस्त संभावित लाभान्वितों तक सूचना पहुंच सके।

16.2 जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी प्रचार–प्रसार हेतु उपायुक्त के स्तर से समस्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लक्षित कृषकों को ससमय समस्त वांछित सूचनायें प्राप्त हो सके।

16.3 प्रखंड स्तरीय खुदरा विक्रेता के पास बीज उपलब्ध होने के 15–20 दिन पूर्व इसका व्यापक प्रचार–प्रसार विभिन्न मीडीया/जनसेवक/पंचायत सेवक/त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्यों एवं अन्य माध्यम से पूर्व में किया जाएगा।

17. राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल :

17.1 कृषि एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा इस अभियान के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जिले में राज्य स्तरीय अनुश्रवण दलों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिनके द्वारा आवंटित जिलों में इस अभियान को सफल बनाने हेतु कोई कोर–कसर नहीं रख छोड़ी जाएगी।

17.2 राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल के द्वारा आवंटित जिला में इस अभियान के दौरान लगातार कैम्प किया जायेगा।

17.3 इस अनुश्रवण दल के द्वारा आवंटित जिले के उपायुक्त के साथ पारस्परिक समन्वय रखा जाएगा तथा प्रत्येक दिन राज्य मुख्यालय को स्वतंत्र प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा ।

18 राज्य स्तर पर अनुश्रवण :

18.1 राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, झारखण्ड के द्वारा कृषि योजना का सतत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार समस्त कदम उठाये जायेंगे ताकि निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके ।

18.2 बीजों की गुणवत्ता एवं उसके अंकुरण के साथ–साथ लाभुकों की चयन के संबंध में सभी पदाधिकारीगण द्वारा पूरी सावधानी बरती जाएगी तथा योजना संबंधी प्रतिवेदन व्यय विवरणी के साथ नियमित रूप से संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी से प्राप्त कर कृषि निदेशक द्वारा सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

19. यह नयी व्यवस्था वर्ष 2011–12 से लागू होगी ताकि बीज का कृषकों के बीच वितरण ससमय किया जा सके।

20. इस संकल्प पर मंत्रिपरिषद, झारखण्ड की दिनांक 28.05.2011 एवं दिनांक 23.08.2011 को आयोजित बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

21. पूर्व में विभागीय ज्ञापांक सं0 1469 दिनांक 01.06.2011 के द्वारा निर्गत संकल्प के स्थान पर यह संकल्प प्रतिस्थापित किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखंड राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

27.08.11

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3003 रांची, दिनांक– 27.8.11

प्रतिलिपि– सभी जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3003 रांची, दिनांक– 27.8.11

प्रतिलिपि– निदेशक कृषि/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक उद्यान/निदेशक समेकित/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना/निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3003 रांची, दिनांक– 27.8.11

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं उसकी 35 प्रतियॉ इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित।

27.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 3003 रांची, दिनांक– 27.8.11

प्रातिलिपि– माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकस विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.08.11

सरकार के सचिव।

प्रपत्र - I

कृषक बीज वितरण पंजी प्रपत्र

जिला : प्रखंड :

क्र.	तिथि	पंचायत	ग्राम	कृषक (नाम)	पिता / पति (नाम)	पहचान पत्र विवरणी (सं.)	कृषि भूमि रकवा (एकड़ में)	आपूरित बीज विवरणी						अभ्युक्ति
								बीज फसल (नाम)	प्रभेद	क्रय मात्रा (किलो)	दर (रू0)	कुल मूल्य (रू)	कृषक के हस्ताक्षर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र - IIA

मासिक लंबित थोक/खुदरा बीज अनुज्ञप्ति प्रतिवेदन

जिला :

प्रतिवेदन माह :

क्र0	आवेदक (नाम)	पिता/ पति (नाम)	पु0/म0	जाति	डाक पता	मोबाईल फोन सं0	आवेदन तिथि	बीज गोदाम स्थल							
								प्रखंड	पंचायत	ग्राम	खाता	खेसरा	रकवा	चौहदी उ0 पू0 प0 द0	कच्चा/ पक्का भवन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

क्षमता (टन में)	अभ्युक्ति
17	18

प्रपत्र - II B

मासिक निर्गत लंबित थोक/खुदरा बीज अनुज्ञप्ति प्रतिवेदन

जिला :

प्रतिवेदन माह :

क्र0	आवेदक (नाम)	पिता/ पति (नाम)	पु0/म0	जाति	डाक पता	मोबाईल फोन सं0	आवेदन तिथि	बीज गोदाम स्थल							
								प्रखंड	पंचायत	ग्राम	खाता	खेसरा	रकवा	चौहदी उ0 पू0 प0 द0	कच्चा/ पक्का भवन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

क्षमता (टन में)	अनुज्ञप्ति सं0	निर्गत तिथि	अभ्युक्ति
17	18	19	20

प्रपत्र - III

अनुदान मांग पत्र

आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान :– वर्ष :–

फसलः– योजना :–

मौसम– रब्बी/खरीफ जिला :–

क्र.	फसल (नाम)	प्रभेद	प्रेषण गोदाम विवरणी				परिवहन विवरणी			प्राप्ति गोदाम विवरणी			अभ्युक्ति
			स्थल	चालान सं0	तिथि	मात्रा (क्वीं)	रेलवे रिसीट	ट्रक बिल्टी सं0	ट्रक सं0	स्थल (नाम)	तिथि	मात्रा (क्वीं)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रमाणित किया जाता है कि

(i) सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में मेरे अधिकृत बीज बिक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर बीज का उठाव किया गया है।

(ii) अनुदानित दर पर बीज वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए पूर्णतः मेरा प्रतिष्ठान/अधिकृत बीज विक्रेता जिम्मेवार होगा।

बीज प्रतिष्ठान के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र - IV

अनुदानित बीज प्रतिष्ठान आपूर्ति प्रतिवेदन

प्रतिष्ठान :– वर्ष :–

फसलः– योजना :–

मौसम– रब्बी / खरीफ जिला :–

क.	जिला स्तरीय थोक विक्रेता का नाम एवं पता	ट्रक संख्या	विक्रय इन्वायस (सत्यापित प्रति)		प्रभेद	बीज की मात्रा (क्वीं)	मूल्य / क्वी0 (रू0)	बीज का कुल मूल्य (रू0)	अनुदान दर (रू0)	अनुदान की राशि (रू0)	अभ्युक्ति
			सं0	दिनांक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट : उपरोक्त प्रतिवेदन बीज उत्पादक संस्था के द्वारा बीज प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं मुख्यालय को सूचित करेंगे।

(i) सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में मेरे अधिकृत बीज बिक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर बीज का उठाव किया गया है।

(ii) अनुदानित दर पर बीज वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए पूर्णतः मेरा प्रतिष्ठान जिम्मेवार होगा।

(iii) अनुदानित दर पर बीज वितरण हेतु दिये गये राशि का समायोजन बीज वितरण के आधार पर किया जायेगा।

(iv) अनुदानित दर पर बीज वितरण के तहत समस्त कार्य Seed Act 1966 – Seed Re… 1968 के संगत प्रावधान के अनुसार होगा।

(v) Seed Testing में अमानक पाये जाने पर सुसंगत कार्रवाई की जायेगी।

बीज प्रतिष्ठान के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र - V

थोक विकेता बीज भंडार पंजी प्रपत्र

आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान :– वर्ष :–

फसलः– प्रभेद :–

जिला :–

तिथि	आरंभ भंडार	प्राप्ति	कुल उपलब्ध मात्रा (क्वीं में)	बिक्री की गई मात्रा				अभ्युक्ति
				प्रखंड स्तरीय खुदरा विकेता (नाम)	प्रखंड	मात्रा (क्वीं में)	अंत शेष मात्रा (क्वीं में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र - VI

थोक विकेता बीज बिक्री पंजी प्रपत्र

बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान (नाम)

क्रम	बीज आपूर्तिकर्त्ता प्रतिष्ठान (नाम)	फसल	प्रभेद	प्रखंड स्तरीय खुदरा विक्रेता का नाम	प्रखंड	चालान सं0	तिथि	ट्रक संख्या	बिकी मात्रा (क्वीं में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट : प्रत्येक जिला स्तरीय थोक विक्रेता विहित प्रपत्र में प्रखंड स्तरीय खुदरा विक्रेता के पास बीज उपलब्ध कराते ही प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

प्रपत्र - VII

प्रखंड/जिला खुदरा बीज भंडार पंजी प्रपत्र

प्रखंड/जिला खुदरा बीज विक्रेता (नाम) : प्रतिवेदन तिथि :

प्रखंड :

तिथि	आरंभ भंडार	जिला स्तरीय थोक विक्रेता (नाम)	आपूर्ति की गई मात्रा	बिक्री की गई			अभ्युक्ति
				बिकी की गई मात्रा (क्वीं में)	जिला स्तरीय थोक विक्रेता (नाम)	अंत शेष मात्रा (क्वीं)	
1	2	3	4	5	6	7	8

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

झारखण्ड

1848/09/ Kailash Paper/0651 2532251